

संख्या-1166 / 1-11-2005-11(7) / 2004

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महाराजगंज।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2005

विषय: वर्ष 2004-05 में कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजनार्थ आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1144/आपदा सहायक-2005, दिनांक 24.03.05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इसमें उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा राहत कार्यों हेतु कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजनार्थ रू० 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे जाला जायेगा।

3. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय विवरण 31 मार्च, 2005 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा जनपद में अवशेष धनराशि यदि हो तो, उसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समर्पित भी करें।

भवदीय,

Anand Kumar Singh

(अनन्त कुमार सिंह)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-797(1)/1-11-2005-11(7)/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, महाराजगंज।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. समीक्षाधिकारी (बजट) राजस्व अनुभाग-10
7. कम्प्यूटर कक्ष (दो प्रतियाँ)
8. गार्ड बुक।

अनुमानित
20.3.05
SE
20/05

आज्ञा से,
राकेश कुमार
(राकेश कुमार)
अनु सचिव।